

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एस.बी. आपराधिक अपील (एस.बी.) संख्या 2765/2023

के.के. कंस्ट्रक्शन, स्वामी श्री किशन पुत्र श्री बद्री नारायण, प्लॉट संख्या 14-बी, गोपाल विहार, मालवीय नगर, जयपुर

-----अपीलकर्ता

बनाम

1. श्री भगवान सिंह पोसवाल, अध्यक्ष श्री विनायक मिशन मेडिकल एंड एजुकेशन सोसाइटी जयपुर, निवासी 1, महावीर नगर-ए, मुहाना रोड, वी.टी. रोड के सामने, मानसरोवर, जयपुर
2. सचिव श्री बीरबल मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, आयु लगभग 99 वर्ष, 1, महावीर नगर-ए, मुहाना रोड, वीटी रोड के सामने, मानसरोवर जयपुर , सचिव भगवान सिंह पोसवाल के माध्यम से
3. श्री विनायक मिशन मेडिकल एंड एजुकेशन सोसायटी जयपुर, निवासी 1, महावीर नगर-ए, मुहाना रोड, वीटी रोड के सामने , मानसरोवर , जयपुर अध्यक्ष श्री भगवान सिंह पोसवाल के माध्यम से

-----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री निशांत शर्मा
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री जे.आर. तांतिया

माननीय श्रीमान. जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आदेश

18/04/2024

प्रकाशनिय

1. धारा 378(4) सीआरपीसी के तहत यह आपराधिक अपील विशेष महानगर मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट) मामले, संख्या 12, जयपुर महानगर-I, मुख्यालय सांगानेर द्वारा आपराधिक मामला संख्या 1336/21 में पारित दिनांक 05.04.2022 के आक्षेपित आदेश को चुनौती देती है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता (जिसे आगे "शिकायतकर्ता" कहा जाएगा) द्वारा दायर शिकायत को धारा 256 सीआरपीसी के तहत अभियोजन की कमी के कारण खारिज कर दिया गया है और आरोपी-प्रतिवादियों (जिन्हें आगे "प्रतिवादी" कहा जाएगा) को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में "1881 का अधिनियम") की धारा 138 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया है।

2. शिकायतकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिवादियों के खिलाफ शुरू में विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एनआई एक्ट मामले, संख्या 3, जयपुर मेट्रो की अदालत में एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी और यह 2013 से 2021 तक काफी समय तक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट संख्या 17, जयपुर मेट्रो-I की अदालत में लंबित रही। वकील ने प्रस्तुत किया कि लगभग हर बार,

शिकायतकर्ता के वकील संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और उसके बाद मामले को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जयपुर मेट्रो-1 के आदेश से विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट) मामले, संख्या 12, जयपुर मेट्रोपॉलिटन- 1 , मुख्यालय सांगानेर की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त शिकायत के स्थानांतरण के बाद, शिकायतकर्ता 2-3 मौकों पर विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। वकील ने दलील दी कि 05.04.2022 को शिकायतकर्ता और उसके वकील की अनुपस्थिति के कारण, शिकायत को डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया और प्रतिवादियों को सीआरपीसी की धारा 256 के तहत निहित आदेश के अनुसार बरी कर दिया गया । वकील ने दलील दी कि शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति वास्तविक थी , इसलिए, 05.04.2022 के आदेश को वापस लिया जाए और शिकायत को उसकी मूल संख्या में बहाल किया जाए।

3. प्रतिवादी पक्ष के वकील ने शिकायतकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और कहा कि दिनांक 05.04.2022 के आदेश पारित होने से पहले की 2-3 तारीखों को भी शिकायतकर्ता निचली अदालत में उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए निचली अदालत ने अभियोजन के अभाव में शिकायत को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। वकील ने दलील दी कि इन परिस्थितियों में, इस अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

4. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
5. इस न्यायालय के विचारार्थ संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायतकर्ता की गैरहाजिरी के कारण आपराधिक शिकायत को उस स्तर पर खारिज करना न्यायोचित था, जहां अभियुक्तों को वारंट के माध्यम से बुलाया गया था और मामला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट संख्या 17, जयपुर मेट्रो-1, सांगानेर की अदालत से विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट संख्या 12, जयपुर मेट्रो-1, मुख्यालय सांगानेर की अदालत में शिकायतकर्ता को कोई सूचना दिए बिना स्थानांतरित कर दिया गया था।
6. उपर्युक्त मुद्दे को उचित रूप से संबोधित करने के लिए, इस अपील को जन्म देने वाले तथ्यों का संक्षिप्त विवरण देना उचित होगा।
7. प्रतिवादियों ने अलग-अलग तारीखों पर परिवादी को 1,00,000 /- रुपये प्रत्येक के तीन चेक जारी किए। जब परिवादी ने उक्त चेक अपने बैंक में प्रस्तुत किए, तो वे "फंड अपर्याप्त" टिप्पणी के साथ अनादरित हो गए। परिवादी ने प्रतिवादियों को उक्त चेकों में उल्लिखित राशि के भुगतान के लिए कानूनी नोटिस भेजा। जब, न तो राशि वापस की गई और न ही उपरोक्त नोटिस का कोई जवाब दिया गया, तो परिवादी ने 04.04.2013 को विशेष महानगर मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट मामले) संख्या 3, जयपुर

महानगर, जयपुर के न्यायालय के समक्ष उनके खिलाफ 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत एक आपराधिक शिकायत संख्या 247/2013 प्रस्तुत की और 03.09.2013 के आदेश द्वारा प्रतिवादियों के खिलाफ 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत संज्ञान लिया गया और उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया।

8. इसके बाद, मामला महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 26 और फिर महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 17 की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया और प्रतिवादियों को लगातार समन जारी किए गए, लेकिन शिकायतकर्ता के वकील लगभग हर तारीख पर अदालत में उपस्थित रहे। जब अभियुक्त अदालत में उपस्थित नहीं हुए, तो 12.11.2020 को उनकी अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। मामले की सुनवाई 05.02.2021 और 06.04.2021 के लिए निर्धारित की गई और शिकायतकर्ता के वकील अदालत में उपस्थित रहे।

9. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, जयपुर मेट्रो-1 ने दिनांक 05.04.2021 के कार्यालय आदेश द्वारा महानगर दंडाधिकारी संख्या 17 को मामले की फाइल महानगर दंडाधिकारी संख्या 12, मुख्यालय सांगानेर, जयपुर मेट्रो-1 के न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया और फाइल 05.08.2021 को स्थानांतरित कर दी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि मामले के स्थानांतरण का उपरोक्त आदेश परिवादी को बिना किसी सूचना के

पारित किया गया था, इसलिए वह दिनांक 20.11.2021, 24.11.2021, 27.01.2022, 28.02.2022 और 05.04.2022 को विशेष महानगर दंडाधिकारी (एनआई अधिनियम मामले) संख्या 12 के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। इसलिए 05.04.2022 को शिकायतकर्ता की उपस्थिति के अभाव में शिकायत को खारिज कर दिया गया और धारा 256 सीआरपीसी के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार आरोपी / प्रतिवादियों को बरी कर दिया गया ।

10. आगे बढ़ने से पहले, धारा 256 सीआरपीसी का उद्धरण उद्धृत करना उपयोगी और उपयुक्त होगा, जो इस प्रकार है:

“256. परिवादी की गैरहाजिरी या मृत्यु।

(1) यदि परिवाद पर समन जारी किया गया है, और अभियुक्त की उपस्थिति के लिए नियत दिन, या उसके पश्चात् किसी दिन, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जा सकती है, परिवादी उपस्थित नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा, जब तक कि किसी कारणवश वह मामले की सुनवाई किसी अन्य दिन के लिए स्थगित करना उचित न समझे:

परन्तु जहां परिवादी का प्रतिनिधित्व किसी वकील या अभियोजन अधिकारी द्वारा किया जाता है या जहां मजिस्ट्रेट की यह राय है कि परिवादी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है, वहां मजिस्ट्रेट उसकी उपस्थिति से छूट दे सकता है और मामले में कार्यवाही कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, उन मामलों पर भी लागू होंगे जहां शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति उसकी मृत्यु के कारण हुई हो।"

11. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 की उपधारा (1) से जुड़े परंतुक को सरलता से पढ़ने पर यह संकेत मिलता है कि जहाँ मजिस्ट्रेट का यह विश्वास हो कि शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है, वहाँ वह शिकायतकर्ता की उपस्थिति को समाप्त कर सकता है और मामले को आगे बढ़ा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 एक समरूप प्रावधान है और इसका स्पष्ट उद्देश्य शिकायतकर्ता की ओर से टालमटोल की रणनीति और परिणामस्वरूप अभियुक्तों को होने वाले उत्पीड़न को रोकना है। इस धारा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का न्यायिक उपयोग किया जाना चाहिए। जहाँ शिकायतकर्ता ने अपनी सद्भावना सिद्ध कर दी है और अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने में सतर्कता दिखाई है, वहाँ मामले को जल्दबाजी या बिना सोचे-समझे खारिज करना उचित नहीं है।

12. इस मामले में, शिकायतकर्ता के वकील 2013 से 2021 तक लगभग हर बार अदालत में उपस्थित रहे और शिकायतकर्ता ने अभियुक्तों/प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने में काफ़ी सतर्कता बरती। उनकी शिकायत का चरण 2013 से 2022 तक अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित करना था। मामले के स्थानांतरण की जानकारी के अभाव में शिकायतकर्ता

अदालत में उपस्थित नहीं हो सका और 05.04.2022 को बिना कोई कारण बताए उसकी अनुपस्थिति में उसकी शिकायत खारिज कर दी गई।

13. केरल उच्च न्यायालय ने 2016 में दर्ज बिजॉय बनाम केरल राज्य के मामले (2) केएलटी 427 में धारा 256(1) सीआरपीसी के तहत निहित प्रावधानों से निपटते समय इसी तरह की स्थिति से निपटा है, इसने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

9. शिकायत मामलों में मजिस्ट्रेट को मामले की तुरंत सुनवाई करके शिकायत को खारिज नहीं करना चाहिए और आरोपी को बरी नहीं करना चाहिए। जहाँ मामले में दोनों पक्षों की उपस्थिति तय हो और शिकायतकर्ता और आरोपी का प्रतिनिधित्व वकील कर रहे हों, वहाँ कारण दर्ज किए बिना शिकायतकर्ता के वकील के आवेदन को खारिज करना गैरकानूनी है। ऐसी स्थिति में, न्यायालय को उसकी अनुपस्थिति का कारण दर्ज करना चाहिए और कानून लागू करते हुए शिकायतकर्ता को जाँच के लिए एक निश्चित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश देना चाहिए। यदि ऐसा अवसर देने के बाद भी शिकायतकर्ता अनुपस्थित रहता है और न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में शिकायत को खारिज करना उचित है। यदि उसकी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण है, तो उसकी अनुपस्थिति में उसके विरुद्ध पारित आदेश उसे गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और इसके परिणाम गंभीर होंगे। यदि मजिस्ट्रेट को बाद में पता चलता है कि

शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति का उचित कारण था, तो मजिस्ट्रेट के पास उस गलती को सुधारने का कोई अधिकार नहीं है। इस शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए, जब शिकायतकर्ता अपनी नेकनीयती बताता है, तो मामले को जल्दबाजी में खारिज करना उचित नहीं है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, शिकायतकर्ता को अपनी बात साबित करने का अवसर देना आवश्यक है। ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है।"

14. एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद के मामले में **1998 (1) एससीसी 687** में रिपोर्ट की गई, धारा 256 सीआरपीसी जैसे प्रावधानों को सम्मिलित करने के उद्देश्य पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चर्चा की गई थी और पैरा 16 में निम्नानुसार टिप्पणी की गई थी:

"16. पुराने कोड में धारा 247 (या नए कोड में धारा 256) जैसे प्रावधान को शामिल करने का क्या उद्देश्य था ? यह शिकायतकर्ता की ओर से विलंबकारी रणनीति के खिलाफ कुछ निवारक प्रदान करता है, जो अपनी शिकायत के माध्यम से कानून को गति प्रदान करता है। एक अभियुक्त जो सभी पोस्टिंग दिनों में अदालत में उपस्थित होने के लिए मजबूर है, उसे शिकायत से बहुत परेशान किया जा सकता है । एक अभियुक्त जो सभी पोस्टिंग दिनों में अदालत में उपस्थित होने के लिए मजबूर है, उसे शिकायतकर्ता द्वारा बहुत परेशान किया जा सकता है यदि वह उन अवसरों पर अदालत में नहीं आता है जब उसकी उपस्थिति आवश्यक होती है। इसलिए, यह धारा शिकायतकर्ता की ऐसी युक्तियों के खिलाफ एक अभियुक्त को

सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर शिकायतकर्ता अनुपस्थित है, तो अदालत का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को निमंत्रण में बरी कर दे ।

15. कानून की यह सर्वमान्य स्थिति है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 के तहत मजिस्ट्रेट को किसी अभियुक्त को बरी करने की शक्ति न्यायिक रूप से प्रयोग की जानी चाहिए, इस निश्चित निष्कर्ष पर आधारित कि शिकायतकर्ता अब शिकायत पर मुकदमा नहीं चलाना चाहता। इस शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से और यंत्रवत रूप से सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह न्याय के उद्देश्य को कमजोर करता है। इसके बजाय, न्यायसंगत तरीका यह होगा कि शिकायतकर्ता को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया जाए, यदि यह आवश्यक हो, और यह तय किया जाए कि यदि वह उपस्थित नहीं होता है तो उसे बरी करने का कठोर कदम उठाया जाए या नहीं।

16. यह मामला ऐसा नहीं है जहाँ अभियुक्तगण न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियमित रूप से निचली अदालत में उपस्थित हो रहे थे और शिकायतकर्ता, अभियुक्त प्रतिवादियों को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए शिकायत के निपटारे में देरी करने के लिए टालमटोल की रणनीति अपना रहा था। बल्कि, शिकायतकर्ता या उसका अधिवक्ता 2013 से 2021 तक नियमित रूप से निचली अदालत के समक्ष निर्धारित लगभग प्रत्येक तारीख पर उपस्थित हो रहे थे।

17. ऊपर वर्णित तिथियों और घटनाओं की समय-सीमा से पता चलता है कि शिकायतकर्ता के वकील हर अवसर पर अदालत के समक्ष उपस्थित रहे और मामले का चरण अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का था और इस बीच शिकायतकर्ता को सूचित किए बिना मामले को एक नई अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।

18. निस्संदेह, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन यानी 05.04.2022 को, न तो शिकायतकर्ता सुनवाई के लिए उपस्थित था और न ही शिकायतकर्ता को उपस्थित रहने का निर्देश देने वाला कोई आदेश पहले पारित किया गया था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट को शिकायत को बाद की तारीख तक स्थगित कर देना चाहिए था और शिकायतकर्ता को अगली तारीख पर निश्चित रूप से उपस्थित रहने का निर्देश देना चाहिए था। उपरोक्त उचित प्रक्रिया को अपनाए बिना और शिकायतकर्ता को उचित अवसर प्रदान किए बिना, विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता की उपस्थिति के अभाव में शिकायत को खारिज कर दिया और आरोपी प्रतिवादियों को 05.04.2022 के आदेश के तहत बरी कर दिया। मजिस्ट्रेट की ओर से ऐसा कदम अनुचित और अनियमित था। विद्वान मजिस्ट्रेट के आवेगपूर्ण निर्णय से न्याय की विफलता हुई है जिसके लिए इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना आवश्यक है।

19. इसलिए, इस न्यायालय का यह विचार है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत को सीधे खारिज करना और शिकायतकर्ता की गैर-मौजूदगी के आधार पर आरोपी प्रतिवादियों को बरी करने का आदेश देना उचित नहीं था, इसलिए, दिनांक 05.04.2022 का विवादित आदेश रद्द करने और रद्द करने योग्य है।

20. उपर्युक्त कारणों से, दिनांक 05.04.2022 का आक्षेपित आदेश निरस्त एवं अपास्त किया जाता है। कार्यवाही विद्वान मजिस्ट्रेट की फाइल पर अपनी मूल संख्या के अनुसार बहाल रहेगी और अभियोजन पक्ष अब उसी चरण से आगे बढ़ेगा जहाँ वह शिकायत को दोषमुक्त/खारिज करने का आदेश पारित होने के समय था। विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह मामले को विधि के अनुसार आगे बढ़ाए।

21. अपील उपर्युक्त शर्तों के अंतर्गत स्वीकार की जाती है।

22. पक्षकारों को 16.05.2024 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

23. स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

(अनूप कुमार ढांड) ,जे

कु डी /199

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निशपादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी